छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 162/2007</u>

1. श्री भूषणलाल कश्यप, – शिकायतकर्ता
C/o छेडलाल कटकवार,
जांजगीर (बी0डी0 महंत, उपनगर)
जांजगीर–चांपा (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – अनावेदक
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
जांजगीर–चांपा (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 18 मई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री भूषणलाल कश्यप द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय तहसीलदर, नवागढ़, जिला–जांजगीर–चांपा के समक्ष दिनांक 12.11.2005 को आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा जन सूचना अधिकारी, तहसीलदार के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, जांजगीर–चांपा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु वहॉं से भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में शिकायतकर्ता से प्राप्त शिकायत पर कार्यालयीन पत्र दिनांक 14.02.2006 के द्वारा कलेक्टर, जॉंजगीर–चांपा से प्रतिवेदन चाहा गया था, किन्तु प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 08.08.2006 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जन सूचना अधिकारी को दंडित करने एवं जानकारी उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया, जिस पर अनावेदक को उपस्थिति हेतु सूचना पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 08.06.2007 को अनावेदक ने आयोग के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा चाही गई जानकारी तैयार की जा चुकी है, किन्तु उक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु शिकायतकर्ता उनके कार्यालय में नहीं आने के कारण वह जानकारी नहीं दी जा सकी। आयोग द्वारा निर्देश दिये गये कि 15 दिवस में चाही गई जानकारी निःशुल्क रजिस्ट्री डाक से अथवा विशेष वाहक के माध्यम से आवेदक को भेजी जावे तथा आयोग को प्रतिवेदन भेजा जावे। साथ ही प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण शिकायतकर्ता को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 300/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये गये। उक्त आदेश का पालन अनावेदक के द्वारा नहीं किये जाने के कारण शिकातयकर्ता ने पुनः आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर आयोग द्वारा अनोवदक को उपस्थिति हेतु सूचना पत्र जारी किया गया, किन्तु अनावेदक आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुये, इससे स्पष्ट है कि अनावेदक का रवैया सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के प्रति काफी उदासीन है।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

प्रकरण में अनावेदक को विलंब के लिए पच्चीस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः अनावेदक को आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने एवं जारी सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने तथा आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराने का दोषी पाया जाता है। इस कारण अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत अनावेदक के विरूद्ध पच्चीस हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि शिकायतकर्ता द्वारा चाही गई समस्त जानकारी एक सप्ताह के अन्दर निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण में आयोग द्वारा दिये गये आदेश का पालन नहीं करने एवं सूचना का अधिकार के आदेवन के निराकरण में लापरवाही बरतने के लिए अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत तत्कालीन जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर, जांजगीर–चांपा को अनुशंसा की जाती है। साथ ही कलेक्टर, जांजगीर–चांपा को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अनावेदक के विरूद्ध अधिरोपित शास्ति उनके द्वारा यदि दो माह के अन्दर जमा नहीं की जाती है तो वह राशि उनके मासिक वेतन से पॉच समान किस्तों में काटी जावे एवं आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन प्रतिवेदन भी आयोग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। पूर्व में आयोग द्वारा आदेशित क्षतिपूर्ति की राशि यदि शिकातकर्ता को नहीं दी गई हो तो अब एक सप्ताह के अन्दर प्रदान करने के भी निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उक्त निर्देश के साथ उक्त शिकायत प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com